न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 532/2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. साधुराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. विद्या पुत्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **वादी**

श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 26/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 196/191 की कुल 4.8310 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का इस आशय का पेश किया की रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 196/191 की कुल 4.8310 हैक्ट भूमि में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में डिक्री किया जा चुका है अतः रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि व हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में ही वादी व प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में वादी व प्रतिववादीगण की सहमति प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई, दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि व हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में ही वादी व प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि व हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में ही वादी व प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता [illegible] तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...26/02/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 532/2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. साधुराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. विद्या पुत्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 532 सन 2023 निर्णय दिनांक 26/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री सुबोध शर्मा एवं वकील प्रतिवादी श्री सत्यनारायण कायल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested